पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1703/आ०प्र० दिनांक 21.05.2014 द्वारा नोडल जिला पटना को 500 टेंटो का क्रय किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में इस वर्ष 2014 में एतदर्थ प्राप्त निविदाओं में से स्वीकृत निविदादाता फर्म बिहार टेन्ट इन्डस्ट्रीज, 304– एन0 पी0 सेन्टर, न्यू डाक बंगला रोड़, पटना–1 द्वारा समर्पित एकरारनामा के आलोक में उक्त फर्म को निम्नांकित विशिष्टियों एवं शर्तो के अध्यधीन इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूना A के अनुरूप टेन्ट की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	आकार	मात्रा	स्वीकृत दर प्रति टेन्ट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	**Family Ridge Tent (Double Fly)**	**4 X 4 meter outer height 2.15 mtr. with complete accessories.**	**500**	16,000.00 (सोलह हजार) रूपया सभी कर एवं मार्ग व्यय सहित	सभी ऐससरीज के साथ

1. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा टेन्ट की आपूर्ति नमूना के अनुरूप सभी ऐससरीज के साथ निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार करनी होगी।
2. आपूर्ति किये जाने वाले टेन्ट की गुणवत्ता जांच अपर समाहर्त्ता, पटना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पटना, समादेष्टा, एस0 डी0 आर0 एफ0, बिहार, पटना, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल द्वारा नामित अभियंता, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर की संयुक्त टीम के द्वारा की जायेगी।
3. आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्त्ति इस आदेश के निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना में करनी होगी जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनीं कार्रवाई की जा सकती है। आपूर्ति हेतु कोई भी अग्रिम एवं परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
4. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
5. आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XLI-04/2014 776 /आ०प्र०, पटना दिनांक 7/8/14

प्रतिलिपि :– बिहार टेन्ट इन्डस्ट्रीज, 304– एन0 पी0 सेन्टर, न्यू डाक बंगला रोड़, पटना–1 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पटना,/समादेष्टा, एस0 डी0 आर0 एफ0, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल द्वारा नामित अभियंता/जिला लेखा पदाधिकारी, पटना एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/14

जिला पदाधिकारी,
पटना।